



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-1196-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2023-29-प्र०सु०/2002

दिनांक : 17.06.2023

- | | | |
|--|--|--|
| 1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०,
डी०एल०डब्लू०, मडुवाडीह,
वाराणसी। | 2. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल वि०वि०नि०लि०,
4-ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ। | 3. प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०,
बी-15 निर्भय नगर, गैलाना रोड,
आगरा। |
| 4. प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०,
विक्टोरिया पार्क,
मेरठ। | 5. प्रबन्ध निदेशक,
केस्को-14/71, केसा हाउस,
सिविल लाइन्स,
कानपुर। | 6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वाणिज्य/
(वित्त)/(वितरण)/(आई०टी०)/(कारपोरेट
प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ। |

विषय :- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.05.2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अनुभाग-03, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-992/चौबीस-पी-3-2023 दिनांक 30 मई, 2023 (प्रति संलग्न) जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को आहूत बैठक में जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अनुभाग-03, उ०प्र० शासन का पत्र संख्या-992/चौबीस-पी-3-2023 दिनांक 30 मई, 2023 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 मई, 2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-1196-(i)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० शासन से प्राप्त उक्त पत्र की छाया प्रति सहित दिशा-निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पा० का० लि० की वेबसाइट <https://www.uppcl.org> पर अपलोड करने हेतु।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक, क्रम संख्या 33

सं० 11.73 पी०एम०ए०एस०-1/23

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ4791
No. /Dir. 11/2023
R.D. 6/6/23
D.D. 7/6/23

ऊर्जा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2023

विषय: मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24-05-2023 को आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 24 मई, 2023 को जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

1. जनसुनवाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जाये। जो भी शिकायतें प्राप्त हों उन्हें रूटीन तरीके से निस्तारित न किया जाये, वरन् उनका गुणतापरक, सन्तोषजनक और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित होना चाहिए।
2. सभी अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर रहें और समय पर कार्यालय आयें।
3. जिन कार्यालयों में टेलीफोन की लैंडलाइन सुविधा लगी हुई है वह चालू हालत में रहे ताकि उस पर सम्पर्क किया जा सके।
4. किसी भी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध न किया जाये।
5. जिन अधिकारियों को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है वह केवल विकेन्द्रीकरण के नाम पर औपचारिकतावश न रहे, वरन् उनका उत्तर दायित्व भी निर्धारित होना चाहिए।
6. मा० जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाये। मा० जनप्रतिनिधियों के जब भी कोई टेलीफोन आते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सुना जाये। यदि आप किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं तो उन्हें कालबैक भी करेंगे।
7. मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी निधियों से जब भी कोई कार्य स्वीकृत किया जाये तो उन निधियों की स्वीकृति समयबद्ध तरीके से जारी हो और उन पर समयबद्ध कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से सम्बन्धित मा० जनप्रतिनिधि को अवगत भी कराया जाये।
8. मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा जिन समस्याओं से अवगत कराया जाये उनका त्वरित निस्तारण कराया जाये और कृत कार्यवाही से सम्बन्धित मा० जनप्रतिनिधि को अवगत भी कराया जाये।
9. उपभोक्ताओं के कनेक्शन अनावश्यक न काटे जायें। उन्हें सही बिल निर्गत किये जायें।
10. गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है। यह सुनिश्चित किया जाये कि बिजली की सतत आपूर्ति बनी रहे और आवश्यक सेवाओं को प्रत्येक दशा में बिजली मिलती रहे।
11. यदि कहीं कोई ट्रान्सफार्मर या केबल इत्यादि खराब होती है तो उन्हें तत्काल ठीक कराया जाये।

(पंकज कुमार) इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त आदेशों

प्रबन्ध निदेशक का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव

ASD

3696/MRS/23

06/06/23

JSC(A)/(कार्यालय)
EE(A)/DS(W)/
DS(MR)(T)

AR002/2A

06/06/2023

निदेशक (क०श० एवं प्रशा०)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

श्री अशोक जी
श्री प्रमोद जी
श्री अशोक जी
श्री प्रमोद जी
12/23(सी० पी० यादव)
अपर सचिव-प्रथम

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव